

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'एक'

[ 27/3/2018 ]

प्रश्न सं. [ क. 5914 ]

परिशिष्ट का प्रपत्र

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5914 के प्रश्नांश 'क' एवं 'ड' की जानकारी

बैठक दिनांक 27.03.2018

सदस्य श्री मधु भगत

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट

उक्त गबन में दोषियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही का विवरण

क्र.	आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों) का नाम	गबन घोखाघड़ी में दोषी अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	प्रकरण में एफआईआर दर्ज का		की जा रही कार्यवाही का विवरण
				क्रमांक	दिनांक	
1	जाम	श्री टी. बी. झंझाड़े	प्र. संस्था प्रबंधक	12/18	08-01-2018	श्री टी.बी. झंझाड़े की मृत्यु हो चुकी है। प्रकरण में शेष दोषियों को निर्लंबित किया जाकर उनके विरुद्ध विभागीय जॉच प्रचलन में है। पूर्ण होने पर आगामी कार्यवाही की जावेगी। प्रकरण में गबन राशि रु. 56.26 लाख में से राशि रु. 2.69 लाख वसूल। शेष राशि रु. 53.57 लाख की वसूली हेतु वाद दायर किया जा रहा है तथा थाने में दिनांक 08.01.2018 को प्राथमिकी दर्ज की गयी।
		श्री जी. पी. चौहान	लिपिक	-!!-	-!!-	
		श्री के.पी. बसेने	लिपिक	-!!-	-!!-	
		श्री आर. के. नगपुरे	भृत्य	-!!-	-!!-	
		श्री आर.के. कावरे	चौकीदार	-!!-	-!!-	
2	घोटी	श्री विष्णुकुमार बान्ते	प्र. संस्था प्रबंधक	496/17	13-11-2017	सेवापृथक। प्रकरण में गबन राशि रु. 6.16 लाख में से राशि रु. 1.65 लाख वसूल। शेष राशि रु. 4.51 लाख की वसूली हेतु वाद दायर किया जा रहा है तथा थाने में दिनांक 13.11.2017 को प्राथमिकी दर्ज की गयी।
3	बल्हारपुर	श्री पी. आर. हरिनखेडे	सहायक प्रबंधक	336/17	08-09-2017	सेवापृथक। प्रकरण में गबन राशि रु. 29.08 लाख में से राशि रु. 21.68 लाख वसूल। शेष राशि रु. 7.40 लाख की वसूली हेतु न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन तथा थाने में दिनांक 08.09.2017 को प्राथमिकी दर्ज की गयी।

अनुभाग अधिकारी  
म० प्र० शासन,  
बहकारिता विभाग

संयुक्त आयुक्त  
सहकारिता, म.प्र.